

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-05/08/2019

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याणबिगहा (नालन्दा) के परिसर में महिला छात्रावास तथा प्राचार्य आवास के चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 16,17,700.00 (सोलह लाख सत्रह हजार सात सौ) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याणबिगहा (नालन्दा) के परिसर में महिला छात्रावास तथा प्राचार्य आवास के चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 16,17,700.00 (सोलह लाख सत्रह हजार सात सौ) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 2681 (भ०) अनु०, दिनांक-11/03/19 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 2- इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष-0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्राक्धानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बिहारशरीफ (नालन्दा) से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3/भवन-24/08 के पृष्ठ -147/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग

क०पू०३०


ज्ञापांक- टी-3/भवन-24/08 -.....1630..... /प ट ना, दिनांक- 05/08/2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतिय में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-24/08 -.....1630..... /प ट ना, दिनांक- 05/08/2019

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालन्दा)/जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालन्दा)/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ (नालन्दा)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कल्याणबिगहा (नालन्दा)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग